रजिस्टर्ड नं० एल-33/एस० एम०/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 जनवरी, 1996/26 पौष, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 16 जनवरी, 1996

संख्या 1-5/96-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1996

243-राजपत्र/96-16-1-96—1,210

मूल्य : 1 रुपया ।

(1996 का विधेयक संख्यांक 3) जो दिनांक 16 जनवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1996 का विधेयक संख्यांक 3

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1996 है ।

धारा 5-क का संशोधन ।

2. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5-क में "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जो कि माननीय मंत्री को जन-प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान या उसके स्थायी निवास स्थान पर संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति को एक हजार पांच सौ रुपये से दो हजार रुपये प्रतिमास तक बढ़ाना और रेलवे या वायुमार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा की अधिकतम सीमा किसी वित्तीय वर्ष में चालीस हजार किलोमीटर से पचास हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है । अतः मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

15 जनवरी, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रति वर्ष 1.20 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा । क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग, फाईल संख्या जी0 ए0डी-सी(पी0ए0) 4-22/94]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 1996.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1996.

Amendment of section 5-A.

3 of 1971.

2. In section 5-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "forty thousand", wherever these occur, the words "fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in first proviso, for the words "one thousand and five hundred", the words "two thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase i the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Minister, as a public representative, had to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase the re-imbursement of telephone charges from Rs. 1500/- to Rs. 2000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from forty thousand kilometres to fifty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 15th January, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 1.20 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD FILE NO. GAD-C (PA) 4-22/94]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 1996, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।